

स्थानीय समुदाय पर खर्च होगी ईको टूरज्म की 90% कमाई

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को उत्तराखण्ड कैबिनेट ने ईको टूरज्म गतविधियों में रेवेन्यू शेयरिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत उत्तराखण्ड में ईको टूरज्म से होने वाली आय का 90 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर खर्च किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत अब संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन क्षेत्रों में नए ईको टूरज्म डेस्टिनेशन में विभिन्न मदों (प्रवेश शुल्क, साहसिक गतिविधियों, पार्किंग, स्थान सुविधाओं, कैम्पिंग) में लिये जाने वाले शुल्क से होने वाली कमाई का पहले साल में 10 प्रतिशत और आगामी वर्षों में 20 प्रतिशत सरकार के खाते में जमा की जाएगी।
- पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिये स्थानीय स्तर पर गठित संस्थाएँ और समितियाँ इस पैसे का उपयोग पर्यटक स्थलों के रखरखाव व अन्य मदों में खर्च कर सकेंगी।
- यह व्यवस्था पहले वर्ष तक लागू रहेगी, जबकि दूसरे वर्ष से कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 80 प्रतिशत स्थानीय समुदाय को जाएगा।
- इसके अलावा ऐसे ईको टूरज्म डेस्टिनेशन, जिनकी आय जब एक समय के बाद पाँच करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी तब अतिरिक्त धनराशि राजकीय कोष में जमा की जाएगी। पहले से संचालित ईको टूरज्म डेस्टिनेशन के संबंध में 20 प्रतिशत राजकोष में जमा किया जाएगा, जबकि 80 प्रतिशत स्थानीय संस्थाओं के पास उनके रखरखाव आदि पर खर्च के लिये रहेगा।
- ईको-टूरज्म डेस्टिनेशन को विकसित किये जाने पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को तीन पुरस्कार भी दिये जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में एक करोड़ रुपए, द्वितीय में 75 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए दिये जाएंगे।
- जिले इस पुरस्कार राशि का इस्तेमाल ईको-टूरज्म की अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में करेंगे। प्रथम स्थान पर आने वाले जिले पर अगले तीन वर्षों तक इस पुरस्कार के लिये विचार नहीं किया जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में उत्तराखण्ड ईको टूरज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वर्ष 2016 में की गई थी। इसके तहत अब रेवेन्यू शेयरिंग का प्रस्ताव पारित किया गया है।